

>

Title: Introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Speaker, Sir, I have given a notice to oppose this Bill, which is called the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill. सर, संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 333 और 334 था, जिसमें एंग्लो इंडियन्स के लिए संरक्षण रखा गया था, उसको बंद किया जा रहा है । इसका प्रावधान अम्बेडकर साहब और जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था । आज सरकार को अचानक ध्यान में आया कि इसको एबोलिश करना चाहिए । एंग्लो इंडियन्स के लिए दो सीट लोक सभा में और 9 सीट विधान सभाओं में होती हैं । अनुच्छेद 334 में प्रावधान है कि 70 साल तक एंग्लो इंडियन्स को भी छुटकारा मिले, उसको एबोलिश किया जा रहा है । That is why I have given a notice opposing the introduction of this Constitution (Amendment) Bill. Under Rule 272 (i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 due to its unconstitutional nature. This Bill is in violation of Article 14, which talks of equality before law and which

provides against arbitrariness, and requires a classification to be based on some real and substantial distinction. The current Bill extends different treatment to various minority communities, namely, SCs, STs and Anglo Indians. Both have reservation under Article 334. This difference is being exercised arbitrarily without relying on any real facts or data.

The Bill is also an attack on the principle of federalism as it deprives the States of the power of appointing Members from the Anglo Indian community. यह जो 70 साल से चला आ रहा है, एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन को रातों-रात एबॉलिश करना सही नहीं होगा, जायज नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसे विदड्रॉ कर लिया जाए। डॉ. अम्बेडकर और जवाहर लाल नेहरू ने एंग्लो इंडियन्स, जो एक छोटा माइनॉरिटी है, के लिए जो रिजर्वेशन दिया था, उसे बनाए रखना चाहिए। ... (व्यवधान) अभी भी हाउस में एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठ जाइए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बहुत विनम्रता से माननीय प्रोफेसर राय को बताना चाहूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से इस देश के अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति का रिजर्वेशन, जो 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है, उसे दस साल आगे बढ़ाने के लिए संशोधन लेकर आए हैं। हम इसे इसलिए लेकर आए हैं कि हमारी सरकार मानती है कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए, वह नॉमिनेशन नहीं है, वह रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं, यह उनके ऊपर है। यह मेरिट का विषय है। जहां तक एंग्लो इंडियन्स का सवाल है, मैं उत्तर में विस्तार से बताऊंगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन्स हैं। ... (व्यवधान) मैं सदन को बताना

चाहूंगा कि हमने इस पर विचार बन्द नहीं किया है । ... (व्यवधान) यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ । इसलिए यह जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है, अपने आप में उचित नहीं है । ... (व्यवधान)

तीसरी बात, सदन में किसी बिल को रोकने या नहीं रोकने के लिए पूरी परम्परा स्थापित है । What is that? It is: ‘the House must not have legislative competence and the Bill should be palpably against any fundamental rights.’ When these matters would be raised, when I propose the Bill for consideration, we can discuss it. When he raises, I will reply to it at that time. But how this can be that this sovereign House does not have the competence?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce the Bill.

12.18 hrs

(ii) Citizenship (Amendment) Bill, 2019